

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1966 / 2024

दिनांक 31.05.2024


श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ01109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 20.04.2024 का एक दिवस का **उपार्जित अवकाश**।
2. दिनांक 21.04.2024 से 25.04.2024 तक **05 दिनों का परावर्तित अवकाश**।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (विर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/97/2016/ 455/

दिनांक 31.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 3050 दिनांक 04.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ01109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।


31/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार